न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 143/2019 **दायर दिनांकः 01/10/2019**

उनवान

1. घनश्याम उर्फ धनराज आयु 49 वर्ष पुत्र छोटूलाल उर्फ छोटू जाति मीना निवासी महुवाखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
बाबत् नाम दुरूस्ती

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल पाडलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में खाता संख्या 74 के ख0न0 138 का रकबा 0.83 है0, ख0न0 139 का रकबा 0.91 है0, कुल किता 2 का रकबा 1.74 है0 आराजी वादी व अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता हैं। उक्त आराजी में वादी का नाम घनश्याम के स्थान पर धनराज आपके कर्मचारीगण ने गलत दर्ज कर दिया वादी का सही नाम घनश्याम हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल कुण्डी में खाता स[illegible] 1[illegible] के कुल किता 5 का रकबा 1.37 है0 आराजी वादी के दर्ज खाता हैं जिसमें वादी का न[illegible] घनश्याम सही दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है[illegible] काबिल गौर हैं। [illegible]ज में वादी के पिता का नाम छोटूलाल हैं जबकि वादी के पिता का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

आराजी में छोटू दर्ज हो रहा हैं इसलिए वादी के पिता का सही नाम छोटूलाल दर्ज किया जावें। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम धनराज व वादी के पिता का नाम छोटू गलत दर्ज किया हैं। उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से वादी का नाम घनश्याम के स्थान पर धनराज दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम घनश्याम हैं व वादी के पिता का नाम छोटूलाल के स्थान पर छोटू दर्ज कर दिया जबकि वादी के पिता का सही नाम छोटूलाल हैं। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड तथा ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र कुण्ड़ी आदि में वादी का नाम घनश्याम व उसके पिता का नाम छोटूलाल दर्ज हैं जो सही हैं। बिना सहायता न्यायालय आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम धनराज के स्थान पर घनश्याम तथा वादी के पिता का नाम छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी व उसके पिता का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सीसी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर धनराज पुत्र छोटू के स्थान पर घनश्याम पुत्र छोटूलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 20/07/2019 को पटवार हल्का द्वारा वादी का नाम धनराज व उसके पिता का नाम छोटू खाते में दर्ज होने की जानकारी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम पाड़लिया पटवार क्षैत्र मूसई गुजरान तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के [illegible]ीय प्रिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि:–

(अ) वादी को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम पाड़लिया पटवार हल्का मूसई गुजरान के खाता संख्या 74 के ख0न0 138 का रकबा 0.83 है0, ख0न0 139 का रकबा 0.91 है0 कुल किता 2 का रकबा 1.74 है0 आराजी में वादी का नाम धनराज के स्थान पर घनश्याम एवं वादी के पिता का नाम छोटू के स्थान पर छोटूलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में धनराज पुत्र छोटू के स्थान पर घनश्याम पुत्र छोटूलाल दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब मे कथन किया गया कि संलग्न साक्ष्य जमाबन्दी ग्राम कुण्डी व पैनकार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार धनराज के स्थान पर घनश्याम किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। तथा पिता का नाम छोटू के स्थान पर छोटूलाल किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के तहत $P.W_1$ का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम घनश्याम के स्थान पर छोटूलाल दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कुण्डी की खाता संख्या 123 किता 5 रकबा 1.37 है0 में खातेदार घनश्याम पुत्र छोट्या दर्ज है। तथा ग्राम पाडलिया की खाता संख्या 74 किता 2 रकबा 1.74 है0 में सहखातेदार धनराज पुत्र छोटू दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड पैनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena.
Date: 2021.01.13 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested.

पहचान पत्र में वादी का नाम घनश्याम पुत्र छोटूलाल दर्ज है। व ग्राम पंचायत कुण्डी का प्रमाण पत्र 20.09.2019 अनुसार धनराज उर्फ घनश्याम एक ही व्यक्ति है। सही नाम घनश्याम पुत्र छोटूलाल सही है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पाड़लिया की खाता संख्या 74 किता 2 रकबा 1.74 है0 में वादी सहखातेदार धनराज पुत्र छोटू के स्थान पर घनश्याम पुत्र छोटूलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 143/2019

उनवान

1. घनश्याम उर्फ धनराज आयु 49 वर्ष पुत्र छोटूलाल उर्फ छोटू जाति मीना निवासी महुवाखेड़ा पो0 कुण्ड़ी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>

<u>बाबत् नाम दुरूस्ती</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पाड़लिया की खाता संख्या 74 किता 2 रकबा 1.74 है0 में वादी सहखातेदार धनराज पुत्र छोटू के स्थान पर घनश्याम पुत्र छोटूलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07/01/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)